23/9/20 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी .... है। पत्रावली दिनांक 27/10/20 को पेश हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22/10/20

पत्रावली पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 02.08.2018 की पालना में वांछित रिकार्ड तहसीलदार पदमपुर से प्राप्त हो चुका है माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय : जिला कलक्टर ,श्री गंगानगर।

क्रमांक : रीडर/20/1306 दिनांक : 28.10.2020

प्रेषिति:–

श्रीमान निबन्धक महोदय
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर (राज0)

विषय : रेफरेन्स प्रकरण संख्या 33/2013 नया नम्बर 01/2018 अनवानी सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 4 जे.जे. पदमपर।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक:राय/न्याय/रेफ./एल.आर./1623/2014/गंगानगर/2018/ 4858 दिनांक 04.10.2018

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आप द्वारा रेफरेन्स/एल.आर./1623/2014/गंगानगर/ अनवानी सरकार बनाम ग्राम पंचायत 4 जे.जे. में अपने निर्णय दिनांक 02.08.2018 द्वारा निर्देशित किया गया कि रेफरेन्स से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात पत्रावली में सम्मलित करते हुए, वांछित अनुतोष हेतु स्पष्ट अभिशंषा अंकित करते हुये निर्णय से 03 माह के अन्दर मण्डल को पुनः अनुशंषा करावें।

अतः आपके निर्देशों की पालना में सम्बन्धित तहसीलदार पदमपुर से सम्वत् 2011 की जमाबन्दी , सम्वत् 2019–22 की जमाबन्दी एवं 2026–35 भू–प्रबन्धक विभाग खतौनी जमाबन्दी प्राप्त की जाकर सलंग्न पत्रावली की जाकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेन्स किये जाने की अनुशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित है।

सलंग्नः– उक्तानुसार

भवदीय

(डा. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन)श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner